राष्ट्रीय युवा नेता कार्यक्रम (एनवाईएलपी) योजना के तहत पड़ोस युवा संसद और विकास कार्यक्रम के लिए युवा, कार्यक्रम कार्यान्वयन हेतु परिचालन दिशानिर्देश

पृष्ठभूमि

युवा मामले और खेल मंत्रालय, भारत सरकार ने निम्नलिखित उद्देश्यों और घटकों के साथ 12 वीं योजना के दौरान लागू किये जाने हेतु, राष्ट्रीय युवा नेता कार्यक्रम (**एनवाईएलपी**) नामक एक नयी केन्द्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की है।

एनवाईएलपी का उद्देश्य

कार्यक्रम का उद्देश्य,युवाओं के बीच नेतृत्व के गुण विकसित करने के लिए,अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने के लिए, उन्हें सक्षम करने के लिए है और इस प्रक्रिया में वे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में योगदान करें।

कार्यक्रम युवाओं को अपने संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए और विकास की प्रक्रिया मे आगे लाने के लिए युवाओं को प्रेरित करना है। इस प्रकार राष्ट्रीय निर्माण के लिए युवाओं की विशाल ऊर्जा का दोहन करना प्रमुख चाहत है।

एनवाईएलपी के अवयव

राष्ट्रीय युवा नेता कार्यक्रम एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना होगी। कार्यक्रम के निम्नलिखित पांच घटक होंगे

- पड़ोस युवा संसद (एनवाईपी)
- विकास कार्यक्रम के लिए युवा (वाईएफडीपी)
- राष्ट्रीय युवा नेता पुरस्कार (एनवाईएलए)
- राष्ट्रीय युवा सलाहकार परिषद (एनवाईएसी)
- राष्ट्रीय युवा विकास कोष (एनवाईडीएफ)

युवा मामले और खेल मंत्रालय, भारत सरकार इस अवसर पर योजना के पहले घटक अर्थात् पड़ोस युवा संसद (एनवाईपी) को लागू करने की जिम्मेदारी एनवाईकेएस को सौंपा है।

कार्यक्रम पूरे भारत के 623 जिलों में नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस), जो युवा मामलों एवं खेल विभाग के तहत एक स्वायत्तशासी संगठन है, के जिला कार्यालयों, नेहरू युवा केन्द्रों (नेयुके) जिसकी 2.74 लाख युवा मंडलों से सम्बद्ध 80 लाख युवाओं के साथ देश भर मे उपस्थिति है, के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा

परिचालन योजना और दिशा निर्देशों के साथ ही पड़ोस युवा संसद के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय पैटर्न और समय सीमा सहित हैं जो दो भागों मे अर्थात ब्लॉक स्तर पड़ोस युवा संसद और ग्राम स्तर पड़ोस युवा संसद इस प्रकार है।

1. पड़ोस युवा संसद

पड़ोस युवा संसद का उद्देश्य

- गांव के स्तर पर, एक यथोचित संस्थागत मंच बनाने के लिए जहां युवा विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार स्पष्ट और उनके जीवन को प्रभावित करने वाले इस तरह के मुद्दों/चिंताओं के लिए स्थानीय प्रशासन का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं।

- जीवंत पड़ोस युवा संसद के आकार में युवा मंडल हेतु एक मंच विकसित करने के लिए जो आगे विशेष रूप से युवा मंडल के सदस्यों को, सामान्य रूप में स्थानीय समुदायों के सम्मुख आने वाले समकालीन सामाजिक–आर्थिक विकास के मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए और इस तरह के मुद्दों पर बहस/विचार विमर्श में उन्हें शामिल करने के लिए होगा।

- पड़ोस युवा संसद के माध्यम से विशेष रूप से समाज और युवाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर बहस, अपने अनुभवों और विचारों को पंचायती राज संस्थाओं, विकास भागीदारों, सेवा प्रदाताओं, गांव समुदायों और स्थानीय प्रशासन के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में साझा करना।

- समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व के साथ युवा मंडलों और महिला मंडल के मौजूदा नेटवर्क में वृद्धि और सुदृढ़ करना ।

पड़ोस युवा संसद में उठाए जाने के लिए विषयवस्तु

पड़ोस युवा संसद स्थानीय समुदाय से सम्बन्धित किसी भी मुद्दे को ले सकते हैं। एक उदाहरण के नीचे की सूची में उल्लेख किया है

राष्ट्रीय फ्लैगशिप कार्यक्रमों को प्रचारित करने, बढ़ावा देने के लिए, और सहभागिता हेतु, यथा

- प्रधानमंत्री जन–धन योजना
- स्वच्छ भारत मिशन – स्वच्छ भारत अभियान
- निर्मल भारत अभियान के तहत शौचालय के निर्माण हेतु प्रेरणा और सहयोग।
- सांसद आदर्श ग्राम योजना में भागीदारी
- सुशासन को बढ़ावा देना और इसका अभ्यास
- श्रमदान

शिक्षाः वयस्क साक्षरता, स्कूल पूर्व शिक्षा, स्कूल ड्रॉप आउट का पुनर्नामांकन/सतत शिक्षा, कानूनी साक्षरता, उपभोक्ता जागरूकता, आदि।

स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और पोषणः टीकाकरण, रक्तदान, स्वास्थ्य शिक्षा, एड्स जागरूकता, मातृ स्वास्थ्य, जनसंख्या शिक्षा और परिवार कल्याण कार्यक्रम, पोषण कार्यक्रम, जीवन कौशल शिक्षा, आदि

स्वच्छता और साफ–सफाईः व्यक्तिगत स्वच्छता, सफाई, स्वच्छता शौचालयों का निर्माण, मैला ढ़ोने के उन्मूलन, आदि

सामाजिक मुद्देः कन्या भ्रूण हत्या, दहेज, शराब और मादक पदार्थों के सेवन, बाल विवाह की रोकथाम, आदि समाज के उपेक्षित वर्गों को मुख्य धारा मे लाना, अंतर–पीढ़ीगत संबंधों के मुद्दों के लिए, विकलांग व्यक्तियों को सहयोग तथा उनकी जरूरतों और अधिकारों के बारे में संवेदीकरण आदि।

पर्यावरण संरक्षणः वृक्षारोपण और उनके संरक्षण/रखरखाव, जल संरक्षण और जल उपयोग दक्षता, मृदा संरक्षण, पॉलिथीन बैग के खिलाफ अभियान, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के उपयोग, आदि

महिला सशक्तिकरणः लैंगिक समानता, महिलाओं के अधिकार, कानूनी साक्षरता, महिलाओं के व्यक्तित्व और नेतृत्व के गुण विकास आदि

ग्रामीण विकासः ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास, बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान जैसे लोगों के लिए आवास, पीने के पानी, साफ–सफाई बिजली, स्व–रोजगार और मजदूरी रोजगार के अवसर, आर्थिक गतिविधियों के लिए स्वयं सहायता समूहों के गठन आदि।

आर्थिक विकासः कृषि के विकास और संबद्ध गतिविधियों, पारंपरिक शिल्प को बढ़ावा देने, आदि

कौशल विकास और उद्यमशीलताः कौशल विकास के अवसरों के लिए युवाओं को जोड़ने और उद्यमों की स्थापना के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने आदि।

स्वयंसेवाः स्वयंसेवा की भावना को बढ़ावा देने सहित नियमित आधार पर श्रमदान का उपक्रम।

सुशासन और नागरिक शिक्षाः राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने की भावना, सांप्रदायिक सद्भाव, भाईचारे आदि

कार्यक्रम के लाभार्थीः

कार्यक्रम के लाभार्थियों मे राष्ट्रीय युवा नीति, 2014 में युवा की परिभाषा के अनुरूप 15–29 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं को सम्मिलित किया जाएगा।

ए. ब्लॉक स्तर पड़ोस युवा संसद – कार्यान्वयन मार्गनिर्देशिका

युवा मंडल को **जीवंत पड़ोस युवा संसद** के रूप में सक्षम करने के लिए, युवाओं, मंडल के नेताओं की क्षमता निर्माण का कार्य नियमित आधार पर जारी रखने की आवश्यकता होगी। यह **ब्लॉक युवा संसद** के स्वरूप में होगा। इस संदर्भ में एक **ब्लॉक युवा संसद** हर ब्लॉक में आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक **ब्लाक युवा संसद कार्यक्रम** में उपरोक्त कुछ मुद्दों में से चर्चा/बहस के लिए तैयार रखा जाएगा।

कार्यक्रम की संख्याः

एक वर्ष के दौरान देश के प्रत्येक ब्लॉक में 04 कार्यक्रमों के आयोजित होने की परिकल्पना की गयी है। योजना और कार्यक्रम 25 दिसंबर 2014 को शुरू किया गया था। वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए निम्नलिखित भौतिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

अवधिः 1 दिन प्रत्येक

समय सीमाः 25 दिसंबर, 2014 से 31 मार्च 2015

आच्छादनः 623 जिला एनवाईके के 6600 ब्लाकों मे।

शामिल होने वाले युवा मंडलों की संख्याः प्रति कार्यक्रम 40

प्रतिभागियों/लाभार्थियों की संख्याः प्रति कार्यक्रम ब्लॉक से 80 युवा नेताओं की भागीदारी। प्रत्येक युवा मंडल (अध्यक्ष और सचिव या किसी भी अन्य सदस्य को मंडल के प्रतिनिधि रूप में युवा मंडल फैसला कर सकते हैं) से दो प्रतिनिधि ब्लॉक स्तर पड़ोस युवा संसद में भाग लेने जाएगा।

ब्लॉक के अधिकारियों और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को भी भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

आयोजित की जाने वाली गतिविधियों के प्रकारः संसाधन सामग्री का निर्माण, निर्धारित विषय पर विषय विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान, विचार विमर्श और बहस, विचार–विमर्श और सिफारिशों की कार्यवृत्त बनाना और उसको संबंधित ब्लॉक स्तर के सरकारी विभागों और निर्वाचित स्थानीय निकायों के विचार के लिए लिए प्रस्तुतीकरण की पूर्व मे तैयारी ।

कार्यक्रम के अनुसार बजट

शीर्ष	दर (रुपये में)	राशि(रुपये में)
भोजन एवं आवास	रुपये 100/- की दर से प्रति व्यक्ति 80 प्रतिभागियों के लिए (100ग्80)	8000
संदर्भ सामग्री सहित संगठनात्मक व्यय	---	2000
संदर्भ व्यक्तियों को मानदेय	रुपये 500/- की दर से प्रति प्रत्येक व्यक्ति 04 व्यक्तियों के लिए	2000
कुल		12000

भूमिकाओं और जिम्मेदारियों

•जिला युवा समन्वयक द्वारा **ब्लॉक स्तर पड़ोस युवा संसद** के लिए प्रत्येक ब्लॉक में स्थल का चयन करेगें जहां इस कार्यक्रम के सफल आयोजन किया जा सकता है,। उदाहरण के लिए, जहां विचार–विमर्श, व्याख्यान हेतु पर्याप्त स्थान, शिक्षण सहायता एवं उपकरण, बिजली पावर बैकअप के साथ, पानी, सफाई और अन्य सुविधाएं उपलब्ध रहें।

•मेंटर यूथ मंडल, प्रशिक्षित पदाधिकारियों और नामित एनवाईसी स्वयंसेवकों को सक्रिय रूप से शामिल करें और कार्यक्रम का प्रभारी बनाया जाना चाहिए।

•जिला युवा समन्वयक को उपरोक्त विषयों मे से विषयों की पहचान करनी चाहिए। तदनुसार, कार्यक्रम को विकास विभागों और एजेंसियों के संबंधित शीर्ष अधिकारियों/पदाधिकारियों और उनके विषय विशेषज्ञों और संसाधन व्यक्तियों के साथ विस्तृत विचार विमर्श कर अंतिम रूप दिया जो, कार्यक्रम मे चयनित विषयों पर व्याख्यान के माध्यम से जागरूकता और शिक्षा प्रदान करने के साथ ही और विषयों पर आईईसी सामग्री प्रदान कर सकते हैं।

- जिला युवा समन्वयक प्रत्येक कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रहना चाहिये और कार्यक्रम के लाभार्थियों का मार्गदर्शन करना चाहिए।

- प्रत्येक जिला युवा समन्वयक को **ब्लॉक पड़ोस युवा संसद** के सम्बन्ध मे पूर्व में ही अच्छी तरह से तिथियाँ, स्थानों और कार्यक्रम के अन्य विवरण सहित प्रतिभागियों और संसाधन व्यक्तियों को सूचित करना चाहिये जिससे वे पूर्ण तैयारियों के साथ इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सक्षम हो सकें।

- शिक्षित युवाओं को भी अपने–अपने युवा मंडल गांवों में उनकी रुचि के कम से कम दो पहचाने गए क्षेत्रों में जागरूकता पैदा करने के लिए उनके सहकर्मी और गांव समुदायों को लामबंद करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।

- जिला एनवाईके, ब्लॉक स्तर कार्यक्रमों को अंतिम रूप प्रदान कर कार्यक्रम की संरचना, प्रत्येक कार्यक्रम के विषयों, वक्ताओं, कार्यक्रमों और आयोजन स्थल की एक कार्यक्रम अनुसूची पूर्व मे ही तैयार कर लेगा।

- कार्यक्रम में शामिल विषयों पर आवश्यक संसाधन सामग्री की भी व्यवस्था पूर्व मे ही कर ली जाएगी।

- पूरे नियोजन मे जिला और ब्लॉक स्तर के सरकारी अधिकारियों और निर्वाचित स्थानीय निकायों के साथ घनिष्ठ समन्वय में किया जाना चाहिए।

- यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि, जन प्रतिनिधि अर्थात माननीय मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, पाषर्दों के साथ साथ विकास विभाग, एजेंसियां/गैर सरकारी संगठनों के प्रमुखों को कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए।

- कार्यक्रम मुख्य रूप से भागीदारी और इंटरएक्टिव प्रकृति का होगा।

पड़ोस युवा संसद की व्यापक संरचनाः

इस गतिविधि के तहत दो सत्र होंगे।

सत्र 1

- यह प्रत्येक स्थान पर 40 गांवों से 80 युवा मंडल के सदस्यों के लिए होगा और उनकी उपस्थिति दर्ज की जायेगी।

- दोनों सत्रों की कुल गतिविधि की प्रकृति मुख्य रूप भागीदारी और इंटरएक्टिव होगी, जो आठ घंटे चलेगी।

- शुरुआत में वक्ता समकालीन स्थानीय मुद्दों यथा गरीबी, बेरोजगारी तथा ग्रामीण समुदाय और विशेष रूप से युवाओं के अनुभूत मुद्दों/समस्या आदि पर व्याख्यान और प्रस्तुतियों देगें।

- मुद्दे ऊपर उल्लेख किये गये विषयगत क्षेत्रों के इर्द गिर्द हो सकते है।

- हालांकि, वे सुझाव है, यह स्थानीय युवा नेताओं और विशेषज्ञों पर निर्भर करेगा कि वे विचार–विमर्श के लिए कौन से स्थानीय समकालीन मुद्दों को व्याख्यान और विचार विमर्श के लिये लेना चाहते हैं।

सत्र 2

- इस सत्र मे प्रतिभागियों द्वारा चिन्हित मुद्दों पर विचार–विमर्श किया जायेगा, प्रमुख वक्ताओं को मध्यस्थता करना होगा।

- यह समय युवाओं की इच्छा के मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर ब्रेन–स्टार्मिंग और विचार विमर्श पर समर्पित होना चाहिए।

- अंत मे विचार–विमर्श, लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय और भविष्य मे कार्रवाई के लिए कार्य योजना के रूप में परिवर्तित करने हेतु की गई सिफारिशों के कार्यवृत्त तैयार किया जाय। इसमे

युवा मंडल, युवा नेताओं, ग्राम पंचायतों, सरकारी विभागों, एजेंसियों और विभिन्न स्तरों पर सेवा प्रदाता के स्तर पर इसके कार्यान्वयन के लिए भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए।

• यह स्थानीय प्रशासन के सहयोग से कार्रवाई के लिए संबंधित ब्लॉक के अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा।

ब्लॉक स्तर पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम के रिपोर्टिंग के लिए कृपया देखें अनुबंध –1 और ब्लॉक स्तर पड़ोस संसद की उपस्थिति अंकन हेतु अनुबन्ध– 2

यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कार्यक्रम में भाग लेने के लिए विकास विभागों, गैर सरकारी संगठनों, एजेंसियों के प्रतिनिधियों आदिं को समय आमंत्रित किया जाय कि वे अवश्य प्रतिभाग करें।

समन्वय और सहयोग

• जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर, जिला पंचायत और जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी की ओर से एक पत्र ग्राम पंचायतों के सभी सरपंचों को विकास विभाग और अन्य एजेंसियों/गैर–सरकारी संगठनों के प्रमुखों भेजा जाना चाहिए, पत्र मे अवश्य उल्लेख किया जाना है कि विकास और कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत विभाग व एजेन्सियां संसाधन व्यक्तियों के रूप में अपने अधिकारियों और विशेषज्ञों को आवंटित करने और उनकी योजनाओं से सम्बन्धित आईईसी सामग्री की पर्याप्त प्रतियां तथा कार्यक्रमों के आयोजन के दौरान सहयोग प्रदान करें।

•विकास विभागों और एजेंसियों के प्रमुखों को सक्रिय रूप से गांव स्तर की गतिविधियों के लिए गाइड, सुविधादाता, संसाधन व्यक्तियों और सहयोगी के रूप में कार्यक्रम के दौरान शामिल किया जाना चाहिए।

•कार्यक्रम संबंधित राज्य सरकारों के साथ निकट सहयोग में आयोजित किया जाना चाहिए। कार्यक्रम से पूर्व राज्य स्तर और जिला युवा सलाहकार समितियों में चर्चा की जानी चाहिए।

•इन कार्यक्रमों के लिये राज्य सरकारों से, उचित निर्देश जाने करने का अनुरोध किया जाना चाहिये कि वे अपने सभी अधिकारियों, चयनित निकायों को निर्देश जारी करें कि वे कार्यक्रमों में भागीदारी, विभिन्न विषयों पर बोलने के लिए संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध कराने और कार्यक्रम से प्राप्त सिफारिशों पर यथासम्भव त्वरित कार्यवाही व पूर्ण सहयोग करें।

संसाधन व्यक्ति और I-E-C

• संदर्भ व्यक्तियों के साथ परामर्श कर जिला एनवाईके द्वारा कार्यक्रम अनुसूची और संसाधन सामग्री, विकसित किया जाएगा। इसकी एक प्रति भी सुलभ संदर्भ के लिए विकास विभागों के प्रमुखों और पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों, ओपिनियन लीडर और युवा मंडल के पदाधिकारियों को भी उपलब्ध करायी जाये।

• पहचान गये विषयों पर और सरकारी योजनाओं की आईईसी सामग्री के रूप में सभी प्रासंगिक मुद्रित संसाधन सामग्री पंजीकरण के समय में प्रतिभागियों को प्रदान की जानी चाहिए।

•चिन्हित अधिकारियों, संसाधन व्यक्तियों और विशेषज्ञों को इस कार्यक्रम उद्देश्यों, उनसे कार्यक्रम मे क्या अपेक्षित है और कार्यक्रम के अपेक्षित परिणाम के बारे में पहले ही अच्छी तरह से जानकारी दी जानी चाहिये।

•यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि संसाधन व्यक्तियों को उन्हे आवंटित विषय में गहराई से जानकारी और ज्ञान है और वह युवा मंडल की भूमिकाओं, युवा एवं ग्रामीण समुदायों के विकास और सशक्तिकरण के साथ इसे जोड़ सकते हैं।

विकास कार्यक्रम के लिए युवा (वाईएफडीपी)

उद्देश्यः

कार्यक्रम का उद्देश्य विशाल युवा ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण लगाना है। यह पूरे देश में एक बड़े पैमाने पर श्रम दान (स्वैच्छिक श्रम) में युवाओं को शामिल करके हासिल किया जा सकता है। यह युवाओं के व्यक्तित्व और नेतृत्व के गुणों को विकसित करने और श्रम की गरिमा की भावना को बढ़ावा देंगा।

कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली गतिविधियांः

कार्यक्रम के तहत ऐसी किसी भी गतिविधि या कोई भी कार्य लिया जा सकता है, जिसमें स्वैच्छिक श्रम शामिल है और स्थानीय क्षेत्र या समुदाय के लिए उपयोगी है।एक उदाहरण के रूप में गतिविधियों की सूची निम्नानुसार हैः

क) खुदाई, रखरखाव, कीटाणुशोधन, जलाशयों की पटान हटाना व मरम्मत तथा नदियों की सफाई।

ख) गाजर घास (Gaajar Ghas) हटाना, लैंटाना और पानी जलकुंभी निकालना, ये पौधें पर्यावरण के लिए खतरा हैं। गाजर घास (Gaajar Ghas) भी स्वास्थ्य के लिए खतरा है।

ग) पौधे लगाना, खरपतवार का उन्मूलन, गांव के चरागाह भूमि का विकास, पॉलिथीन के थैलों और प्लास्टिक सामग्री के निपटान के लिए संग्रह आदि।

घ) स्कूल भवनों,ग्राम पंचायत भवन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनवाड़ी केंद्रों और अन्य सार्वजनिक इमारतों की सफाई, मरम्मत/रखरखाव, पुताई/चित्रकारी।

ई)गांव की सड़कों, रास्तों को जोड़ने वाले छोटे पुलों, लघु जल संचयन संरचना, आदि का निर्माण/मरम्मत।

च)स्कूल/कॉलेज परिसरों की साफ सफाई और खेल के मैदानों का विकास/रख–रखाव।

छ) गांव की सड़कों और आम जगहों की साफ–सफाई का अभियान।

ज)जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए सोख्ता गड्डे युक्त शौचालय के निर्माण में मदद करना व स्कूल के या सामुदायिक शौचालय, आदि का रखरखाव।

झ)प्राचीन विरासत के स्थलों की संरक्षण/सफाई/रखरखाव।

स्वच्छ भारत मिशन वाली साफ–सफाई की गतिविधियां इस कार्यक्रम के तहत मुख्य केन्द्र बिन्दु होंगी।

कार्यान्वयन रणनीतिः

कार्यक्रम विभिन्न योजनाओं/संगठनों के तहत दाखिल युवा स्वयंसेवकों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। प्रारंभ में, कार्यक्रम निम्नलिखित योजनाओं/संगठनों के तहत दाखिल युवा स्वयं सेवकों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगाः

नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस): एनवाईकेएस भारत सरकार के युवा मामलों के विभाग का एक स्वायत्तशासी संगठन है। वर्तमान में एनवाईकेएस के लगभग 2.74 लाख युवा मंडलों से लगभग 8 लाख युवा स्वयं सेवक सम्बद्ध हैं। इन युवाओं को विभिन्न राष्ट्रीय–निर्माण गतिविधियों में लगाया जा रहा है।

कार्यान्वयन की रणनीति और गतिविधियांः

स्तर, कवरेज, संख्या और गतिविधियों की अवधि

- यह कार्यक्रम जैसा कि स्वतः ध्वनित होता है, प्राथमिकता के आणार पर युवा म्डलों और महिला मंडल द्वारा उनके संबंधित गांवों और ग्राम पंचायतों में स्वैच्छिक आधार पर किया जाएगा। गतिविधियां स्थानीय पहल और संसाधन जुटाने के आधार पर ली जा सकती है।

- ;g dsy xfrfof/k dh ykxr dks gh uहीं कम करेगा, बल्कि उनकी यात्रा, आवास और भोजन पर पैसा खर्च करने की जरूरत को भी कम करेगा।

- xfrfof/k ,d o"kZ dsnkSjku n'kHkj esa ,uokbZ,l l sla) 2.74 लाख युवा मंडलों द्वारा इतने ही गांवों में किया जाएगा।

☐ fpfUgr xkao vk/kkfjr मंडल और महिला मंडलों का हर एक वर्ष में 100 घंटे श्रम दान, एक न्यूनतम कार्य होगा। यह रविवार या अल्पकार्य वाले दिवसों, छुट्टियों या किसी भी अन्य समय के दौरान जब वे सहज महसूस करते हैं तब 2–3 घंटे कर सकते हैं।

☐ Je nku dh vof/k fu/kkZfjr fnol ds nkSjku vkSj vf/kd Hkh gks ldrk है, लेकिन किसी भी दिवस में 2 घंटे से कम नहीं होना चाहिए।

प्रतिभागियों और उनकी संख्या

प्रत्येक कार्यक्रम में युवाओं मंडल/महिला मंडल के न्यूनतम 10 सदस्य एक पूर्व में पहचान की गई परियोजनाओं पर काम करने के लिए भाग लेंगे। इस प्रकार इस कार्यक्रम के तहत एक वर्ष के दौरान युवा मंडल/महिला मंडल के न्यूनतम 27.5 लाख सदस्य भाग लेंगे।

पुरस्कार

योजना प्रखंड स्तर पर लागू होगी। प्रतियोगिता प्रखंड स्तर पर शुरू होगी। पुरस्कार प्रति ब्लॉक 15 युवा मंडलों को न्यूनतम 150 सदस्यों के कुल श्रम दान करने पर दिया जाएगा और उनमें से प्रत्येक को एक वर्ष के दौरान न्यूनतम 100 घंटे श्रम दान का कार्य करेगा।

☐ युवा मंडल और महिला मंडलों के उन सभी सदस्यों को प्रमाण पत्र, प्रदान किया जाएगा, जिन्होंने सफलतापूर्वक श्रम दान के 100 घंटे पूर्ण कर लिये होगें।

☐ çR;sd Cy‚d esa ;qok मंडल/महिला मंडल के लिए दो पुरस्कार दिया जाएगा। प्रथम पुरस्कार एक प्रमाण पत्र और 8000 रुपये नकद पुरस्कार होगा और द्वितीय पुरस्कार के रूप में एक प्रमाणपत्र और नकद पुरस्कार के रूप में 4000 रुपये होगा। ।

☐ इसलिए प्रत्येक ब्लॉक मे रु 12,000 पुरस्कार प्रदान करने के लिए खर्च किया जाएगा।

☐ dqy 13,200 पुरस्कार हेतु रु 7.92 करोड़ योजना के तहत एक वर्ष के दौरान दिया जाएगा।

☐ ;g iqjLdkj जिला स्तर पर आयोजित युवा सम्मेलन कार्यक्रम में किया जायेगा जैसे इसमें वरिष्ठ अधिकारियों, राजनीतिक नेताओं और अन्य लोगों जिन्होने कार्यक्रम के दौरान सहायता प्रदान की है, की भागीदारी के साथ, एक अच्छी तरह से आयोजित समारोह के दौरान दिया जाएगा।

☐ युवा मंडल, पुरस्कार राशि का उपयोग, सामुदायिक विकास परियोजनाओं में या युवा मंडल/महिला मंडल के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए करेगा।

कार्यक्रम मे ब्लॉक स्तर पर पुरस्कार प्रदान करने के लिए, सबसे अच्छे युवा मंडलों की पहचान का मूल्यांकन कैलेंडर वर्ष के आधार पर (यानी दिसंबर से जनवरी) किया जाएगा।

जागरूकता

युवा मंडलों और महिला मंडल के सदस्यों और लोगों के बीच स्वयंसेवा की भावना विकसित करने, प्रेरित करने व गतिशील करने के साथ ही उनके संबंधित गांवों में निरंतर और सामूहिक कार्रवाई के लिए उत्साह की भावना विकसित करने अर्थात जागरूकता पैदा करने और बढ़ावा देने और एक वर्ष में युवा मंडल के सदस्यों द्वारा 100 घंटे के लिए श्रम दान अभ्यास के लिए प्रेरक गतिविधियों विभिन्न स्तरों पर आयोजित की जाएगी। प्रत्येक जिले में इस प्रयोजन के लिए रुपये 65,000 का अनुमान है और 623 जिलों के लिए कुल 4.05 करोड़ रुपए का प्रावधनित हैं।

आईईसी घटक – प्रचार और मीडिया अभियान

यह गतिविधि, शिक्षा प्रद पर्चे, बैनर, मुद्रित दिशा निर्देशों, हैण्ड बिल, नारा लेखन,गांव से गांव मीडिया सर्किल कवरेज, ऑल इंडिया रेडियो/एफएम/ए एम रेडियो और स्थानीय मीडिया चैनलों पर वार्ता, रैलियों, प्रेस वार्ता, अभिलेखीकरण तथा सर्वोत्तम प्रचार–प्रसार की विधियों आदि के माध्यम से किया जाएगा। प्रत्येक जिले में इस प्रयोजन के लिए 35,000 रुपये अनुमानित है और 623 जिलों के कार्यालयों के लिए यह 2.18 करोड़ रुपये आता है। राज्य और राष्ट्रीय स्तर केलिए 87 लाख प्रचार और मीडिया गतिविधियों के लिए व्यय का अनुमान है ।

इस योजना के तहत कुल बजटः रुपये 7.92 करोड + रु0 4.05 करोड + रु0 2.18 करोड + 0. 87 = 15.0 करोड़

वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए भौतिक और वित्तीय लक्ष्य

यह योजना और कार्यक्रम 25 दिसंबर 2014 को शुरू किया गया। वर्तमान मे इस कार्यक्रम के तहत एनवाईकेएस के साथ धन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुये, आईईसी के घटक के तहत प्रचार और मीडिया अभियान, 31 मार्च 2015 तक लागू किया जाना चाहिए। इसलिए इस गतिविधि (प्रचार और मीडिया अभियान जागरूकता एवं आईईसी घटक) के कार्यान्वयन करने के लिए प्रति जिला 21,316 रुपये जारी किया जा रहा है।

बहरहाल, यह ऊपर की परिकल्पना के अनुरूप श्रम दान गतिविधियों को जारी रखना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भाग लेने वाले प्रत्येक युवा मंडल को एक रजिस्टर और रिकॉर्ड बनाना है, जिसमें श्रमदान की तारीख, सहभागी युवा मंडल के सदस्यों का विवरण जिन्होने श्रम दान में भाग लिया, युवा मंडल के बाहर से प्रतिभागियों, प्रतिष्ठित व्यक्तियों जिन्होने गतिविधि में भाग लिया और एक विशेष तिथि के दौरान किए गए श्रम दान के घंटे की रिपोर्टिंग आदि का उल्लेख किया जाय।

अपेक्षित परिणामः

इस कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप, युवा पीढ़ी स्वयं अग्रसर होने के साथ पूरे समुदाय सहित श्रम दान में शामिल हों। कार्यक्रम से समाज और राष्ट्र की सेवा के माध्यम से युवाओं के व्यक्तित्व और नेतृत्व के गुणों को विकसित करने में मदद मिलेगी और उन्हें बेहतर नागरिक बनायेगा।

इस प्रक्रिया में देश के लिए परिसंपत्तियों के सृजन और पर्यावरण के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।

****

अनुबंध–1

पड़ोस युवा संसद चर्चा सिफारिश तथा कार्य योजना की ब्लॉक स्तरीय रिपोर्ट

ब्लॉक..... जिला.....प्रभारी एनवाईसी.....गतिविधि की तिथि.....

चयनित क्षेत्रों के विषय जिन पर चर्चा की गई (मार्गनिर्देशिका का पृष्ठ संख्या 2 और 3 देखें) स्थानीय मुद्दें, स्थानीय मुद्दें तथा गांव के कल्याण और विकास पर आधारित अन्य विषय	युवाओं एवं ग्राम वासियों की समस्यायें, आकांक्षायें, अपेक्षायें जिन पर संबोधन एवं समाधान किया जाना है।	युवा एवं ग्रामवासियों की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं और समस्याओं को सुलझाने के लिए की गई चर्चा और उन्हें किस प्रकार पूरा किया जाना है के संबंध में सुझाव	विकास से संबंधित मुद्दों तथा समस्याओं को सुलझाने के लिए अपेक्षित संसाधन	विभिन्न स्तरों पर संसाधन एकत्रीकरण के स्त्रोत (ग्राम पंचायत, जिला प्रशासन, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार)	मुद्दों /समस्याओं के समाधान के लिए संसाधन एकत्रिकरण की आवश्यकता और समन्वय किया जाने वाले विभागों एवं एजेसिंयों को चिह्नित करना	कार्य पूरा करने की अवधि एवं समय सीमा	अध्यक्ष को दिए गये उत्तरदायित्व और उनके समूह को कार्य पूरा करने के लिए दिए गए कार्य (व्यक्ति का नाम)

ब्लॉक कार्य योजना की प्रति जिला नेयुके के रिकॉर्ड में रखी जाये और प्रति सभी प्रतिभागियों को ब्लॉक एन.वाई.पी. में दी जाये। समेकित जिला कार्य योजना ब्लॉक स्तरीय कार्य योजना पर आधारित होगी और उसे संबंधित मंडल निदेशक को प्रस्तुत करना होगा।

द्वारा तैयार : (नाम एवं हस्ताक्षर)

हस्ताक्षर
(नाम एवं हस्ताक्षर) जिला युवा समन्वयक

उपस्थिति शीट अनुबंध–2 के साथ पड़ोस युवा संसद के कार्यवृत्त संलग्न करें।

अनुबंध–2

पड़ोस युवा संसद उपस्थिति शीट

ब्लॉक..... जिला.....प्रभारी एनवाईसी.....गतिविधि की तिथि.....

क्र.सं.	प्रतिभागी का नाम	प्रतिभागी का गांव	प्रतिभागी युवा मंडल का नाम	पदनाम	लिंग		आयु	श्रेणी*	मोबाईल/फोन नं.	हस्ताक्षर
					पु.	म				

*अ.ज., अ.ज.जा., अल्प संख्यक, विकलांग, एवं सामान्य

हस्ताक्षर
जिला युवा समन्वयक
के नाम एवं हस्ताक्षर

अनुबंध–3

नेहरु युवा केन्द्र संगठन : मंडल..................................राज्य/संघ शासित प्रदेश............................

मंडल निदेशक का नाम.................जिला नेयुके की संख्या.............तैनात एनवाईसी स्वयं सेवकों की संख्या............राज्य में युवा मंडलों/महिला मंडल की संख्या..........

मंडल/राज्य के ब्लॉक स्तर की पडोस युवा संसद की................से.................तक की अवधि की रिपोर्ट

क्र. सं.	राज्य/मंडल में जिलों के नाम	जिलों में ब्लॉकों की संख्या	कवर किये गये ब्लॉकों की संख्या	कार्यक्रमों की संख्या		कवर किये गये युवा मंडलों/महिला मंडलों की संख्या	गतिविधियों में भाग लेने वाले संदर्भ व्यक्तियों की संख्या	तैयार किये गये ब्लॉक स्तरीय कार्य योजनाओं की संख्या	संबंधित व्यक्तियों/संस्थाओं को दिये गये कार्य योजनाओं की संख्या*	संबद्ध ब्लॉक विशेष के युवा मंडलों/महिला मंडलों के प्रतिभागियों की संख्या																					
				निर्धारित लक्ष्य	प्राप्त लक्ष्य					अ.ज.			अ.ज.जा.			अन्य पिछडा वर्ग			अल्प संख्यक			विकलांग			अन्य			कुल			कुल योग
										पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल	
	कुल																														

*माननीय सांसद, माननीय विधायक, अध्यक्ष जिला परिषद, उपायुक्त, अध्यक्ष ब्लॉक पंचायत, एसडीएम, बीडीओ, बीएमओ, सीडीओ, तहसीलदार आदि

द्वारा तैयार :

हस्ताक्षर

नाम एवं पदनाम
(मंडल निदेशक के हस्ताक्षर)

अनुबंध . 4

नेहरु युवा केन्द्र संगठन: मंडल :.....राज्य/संघ शासित प्रदेश.....

मंडल निदेशक का नाम:.....जिला नेयुके की संख्या:..... तैनात एनवाईसी स्वयंसेवकों की संख्या:.....

जिले में युवा मंडलों/महिला मंडलों की संख्या :.....

आईईसी घटक– युवाओं के विकास के लिए कार्यक्रम के अंतर्गत प्रचार एवं मीडिया अभियान (वाईएफडीपी)

क्र.सं.	राज्य/मंडल में जिलों के नाम	कवर किये गये ब्लॉकों की संख्या	युवा मंडल/महिला मंडल द्वारा कवर किये गये गांवों की संख्या	प्रचार एवं मीडिया गतिविधि									गंव से गांव तक मीडिया के माध्यम से कवर किये गये गांवों की संख्या	लाभार्थियों																						कुल योग
				* तैयार एवं मुद्रित किये गये हैंड बिल, बैनरों की संख्या तथा आवंटित सामग्री *(संख्या)*	**आयोजित प्रेस की बैठकों की संख्या	** जारी प्रेस नोट की संख्या	**प्रेस मीडिया में दिखाये गये समाचारों की संख्या	*** ऑल इंडिया रेडियो, एफएम एवं एएम चैनलों, स्थानीय चैनलों पर दिखाई गई और दिये गये समाचार	मुद्रित सर्वश्रेष्ठ श्रमदान, अभ्यासों की संख्या (स्वैच्छिक कार्य)	आयोजित रैलियों की संख्या	अन्य कोई आयोजितआईईसी गतिविधियॉ				अ.ज.			अ.ज.जा.			अन्य पिछडा वर्ग			अल्प संख्यक			विकलांग			अन्य			कुल			
											प्रकार	संख्या		पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल	
	कुल																																		

*कृपया फोटो/आईईसी सामग्री तथा विकसित एवं वितरित अभ्यासों की पीडीएफ कॉपी संलग्न करें।

** रिपोर्ट के साथ एक्शन फोटो, प्रेस क्लिपिंग पीडीएफ में प्रस्तुत करें।

***जिला स्तर पर रिकॉर्डिंग रखें।

द्वारा तैयार :

हस्ताक्षर

नाम एवं पदनाम

(मंडल निदेशक के हस्ताक्षर)